

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व हरीपति

भू अभिलेख निरीक्षक सोनी

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील करेड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम देवपुरी पटवार हल्का हरीपति तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 में खाता संख्या 48 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
16	<u>देवपुरी</u>	<u>48</u>	<u>सोनी पत्नी गोपी</u>	<u>सोनी पत्नी गोपी</u>

उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा (भीलवाड़ा)

दिनांक:- 26/10/2021

क्रमांक/न्यायालय /2021/16

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री सोनी पत्नी गोपी

उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा (भीलवाड़ा)

